UPKS040096662020

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–2738 / 2021

मन्नो देवी बनाम बृज लाल आदि

05.08.2022

पत्रावली आज तलबी के बिन्दु पर आदेशर्थ नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

परिवादिनी मन्नो देवी देवी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण बृज लाल, राजलाल, शिव लाल, कलावती, मीरा, गुड्डी, प्रदीप व जयदीप द्वारा परिवादिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज करते हुए मारा पीटा गया एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वंय का बयान एवं अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 में साक्षीगण पी0डब्लू0–1 निर्मला देवी को परीक्षित कराया गया है। जिसने परिवादिनी के कथनों का अंशतः समर्थन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षी बृज लाल द्वारा परिवादिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना परिलक्षित है। अतः विपक्षी बृज लाल को धारा–498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है एवं विपक्षीगण राजलाल, शिव लाल, कलावती, मीरा, गुड्डी, प्रदीप व जयदीप को किसी भी धाराओं में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। अतः अभियुक्त बृज लाल अन्तर्गत धारा–498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त बृज लाल को धारा–498ए भा0दं0सं0 के अधीन विचारण हेतु जरिए समन तलब किया जाता है। परिवादी धारा–204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

पत्रावली अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दि0 05.09.2022 को पेश हो।

(सुशील कुमारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।
ID No.UP-1772